



टिप्पणी

विषय:-राष्ट्रीय स्तर पर पेंशन अदालत का आयोजन के सम्बन्ध में ।

महाप्रबन्धक (का) गोरखपुर के पत्र सं. का/207/समापक/आठ/पेंशन अदालत 2021 दिनांक के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पेंशन अदालत का आयोजन दिनांक 15.12.2021 को किये जाने के सम्बन्ध में सूचित किया गया है । इसके लिए मण्डल स्तर पर स्थानीय समाचार पत्रों में (पूर्वोत्तर रेलवे क्षेत्र में) सूचना प्रकाशित किया जाना है । पेंशन अदालत हेतु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 20.11.2021 निर्धारित की गई है ।


पीआरओ/वाराणसी
सं.ई/207/सेटिल/पेंशन अदालत/2016



मकाधि/वाराणसी
दि.11/11/2021 

रेलवे बोर्ड के पत्रांक E/W/2021/2021/PA-I /5 दिनांक 29.10.2021 के निर्देशानुसार दिनांक 15.12.2021 को पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन सम्बन्धित शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु पेंशन अदालत 2021 का आयोजन होना है । इसी क्रम में वाराणसी मण्डल/पूर्वोत्तर रेलवे के सभी पेंशनरों /पारिवारिक पेंशनरों को इस समाचार पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे अपनी पेंशन सम्बन्धी शिकायतों के निस्तारण हेतु प्रतिवेदन इस सूचना के प्रकाशन के उपरान्त दिनांक 20.11.2021 तक , जिस कार्यालय से समापक भुगतान किया गया था , में निम्न प्रारूप पर जमा कर सकते हैं- का- मण्डल रेल प्रबन्धक/कार्मिक कार्यालय / वाराणसी के पते पर भेजें

- 1- आवेदक/आवेदिका का नाम -
- 2- भू.पू. कर्मचारी का नाम -
- 3- भू.पू. कर्मचारी का पदनाम /कार्यस्थल-
- 4- भू.पू. कर्मचारी की सेवानिवृत्त /मृत्यु तिथि -
- 5- पीपीओ की छायाप्रति -
- 6- बैंक विवरण (खाता सं. ,आई.एफ.एस.सी.कोड व बैंक का नाम)
- 7- आधार कार्ड की छायाप्रति
- 8- मोबाइल सं. ई.मेल आई.डी.
- 9- पेंशन सम्बन्धी दावा-
- 10- अन्य विवरण जो प्रतिवेदन में देना चाहें -
- 11- उक्त सूचना रेलवे के वेबसाईट www.ner.indianrailways.gov.in पर देखी जा सकती है

नोट- सभी अपेक्षित प्रपत्रों की छायाप्रति लगाना सुनिश्चित करें तथा आवेदन व संलग्नक 03 प्रतियों में दें । दिनांक 20.11.2021 के बाद प्राप्त आवेदनों/प्रतिवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा । आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर पत्र व्यवहार का पूरा पता (पिन कोड सहित)


11-11-21


मण्डल रेल प्रबन्धक(का.)
वाराणसी